

कार्यालय

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश तखनऊ

संख्या:- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

तखनऊ:- दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मोसो काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषक सं. 2021-22 हेतु शिक्षणीय स्तर पर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक-09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आरंभित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रणाली वृद्धि सहित अन्य मॉडल पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रदेश प्रणाली हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3336-INDUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT,KAKWAN ROAD,BARAULI BILHORE, KANPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईटीसीटीआई/पीसीआई द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	42	42
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	42	42
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	42	42

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईटीसीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद (एन 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992) समेकित विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय ढंगी) पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष) शुल्क ही प्रवेश प्रणाली से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर बहाने द्वारा निर्गत किये जाने वाले वाहनव्यय प्रकटी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाक आवश्यक होगा। अखिल भारतीय समिति द्वारा पद सं. 2021-22 हेतु फीस का पूर्णतः निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा समिति तथा उ० प्र० समिति, संस्थाओं को सम्बद्धता के लिए जनात विनियमवारी-2016 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आरंभित करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वाहन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरित वाहनव्यय के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आईटीसीटीआई/पीसीआई से आगामी सं. हेतु अनुमोदन प्राप्त किए जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश वाहन द्वारा बनाये गये विधिनिर्णय/अधिनियम/शासननियम/निर्देशों एवं विदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, शुल्क प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ शिक्षणीय पुन कार्यालयी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए समस्त खर्च उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वाहन की कोई वाद बाहर निकाले जाते हैं तथा वाद के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ शिक्षणीय पुन कार्यालयी पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदन प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रार्थि होने के पूर्व पीसीआई/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्ही प्रवेश की (वाहननिर्णय के माध्यम से अगला वर्षा स्तर पर सीटें प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, सात-साल, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैली रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को बतये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, शनीवर, उपकरण इत्यादि का पद संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संकलन में प्रयोग किया जाता है और परिषद की इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की शर्तों का पालन की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आईटीसीटीआई/पीसीआई/आई/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं तथा अज्ञ है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनव्यय कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

क्र.सं. प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4009

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानकार्यालय,INDUS INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT,KAKWAN ROAD,BARAULI BILHORE, KANPUR

